

पर्चा डिक्री

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर
टिब्बी, जिला हनुमानगढ़

पीठारीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० 260 / 2025

1. कमला कुमारी पत्नी रामकुमार जाति जाट निवासी खनानियां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादीया

बनाम्

1. रामकुमार पुत्र बुधराम जाति जाट निवासी खनानियां तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।


प्रतिवादी

डिक्री

दिनांक 21/7/25

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री संजय शर्मा व प्रतिवादी वकील जयनारायण शर्मा अंतिम निपटारे/निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है चकनं० 2 ए बारानी के जमाबन्दी संवत् 2075 ता 78 के खाता सं० 154/86 में अंकित कुल 6.072 है० अनकमाण्ड मय गै०मु० आराजी में से प्रतिवादी रामकुमार के 1/4 हिस्सा की आराजी की वादीया खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर चक नं० 2 ए बारानी के खाता सं० 154/86 में से प्रतिवादी रामकुमार का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है तहसीलदार राजस्व टिब्बी को निर्देशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद एंव जमाबंदी में गै०मु० रकबे को यथावत रखते हुए यदि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नहीं हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/7/25 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(सत्यनारायण R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
सहायक कलक्टर (राजस्व)
टिब्बी